शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 13 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 23 – 30 मार्च 2026 मूल्य पांच रूपये

हिमाचल का स्वास्थ्य मॉडल सवालों के घेरे में

कम बजट से स्वास्थ्य सेवाएं संकट में

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर विधानसभा में हुई चर्चा ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उपलब्ध आंकड़े और जमीनी स्थिति के बीच का अंतर अब स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है, जो संकेत देता है कि राज्य का स्वास्थ्य ढांचा दबाव में है और नीतियों के क्रियान्वयन में बड़ी खामियां मौजूद हैं।

वर्ष 2026 – 27 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को कुल बजट का केवल 5.83 प्रतिशत आवंटित किया गया है, जो लगभग 2800 – 3000 करोड़ रूपये के आसपास बैठता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह आवंटन बढ़ती आबादी, बीमारियों के बढ़ते बोझ और आधुनिक चिकित्सा सेवाओं की लागत को देखते हुए अपर्याप्त है। सीमित बजट के कारण न केवल नई योजनाओं का विस्तार प्रभावित होता है, बल्कि मौजूदा ढांचे को बनाए रखना भी चुनौती बन जाता है।

आर्थिक सर्वे के अनुसार प्रदेश में 835 स्वास्थ्य संस्थान और 16,699 बेड उपलब्ध हैं, लेकिन इन संस्थानों में आवश्यक मानव संसाधन की भारी कमी है। लैब टेक्निशियन, रेडियोग्राफर, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, एनेस्थेटिस्ट और अन्य तकनीकी स्टाफ के कई पद खाली पड़े हैं। स्थिति यह है कि कई अस्पतालों में डॉक्टर होने के बावजूद ऑपरेशन नहीं हो पा रहे, क्योंकि सहायक तकनीकी टीम उपलब्ध नहीं है। इससे सर्जरी और आपात सेवाएं सीधे प्रभावित हो रही हैं।

सरकारी अस्पतालों में आधुनिक मशीनों की उपलब्धता भी समाधान नहीं बन पायी है। कई स्थानों पर सीटी स्कैन और अन्य जांच उपकरण लगे होने के बावजूद रेडियोलॉजिस्ट और प्रशिक्षित तकनीशियनों की कमी के कारण उनका उपयोग सीमित है या वे पूरी तरह बंद पड़े हैं। इससे यह सवाल उठता है कि उपकरणों की खरीद के साथ उनके संचालन की योजना क्यों नहीं बनाई गई।

वित्तीय मोर्चे पर भी स्थिति चिंताजनक है। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों पर 400 करोड़ से अधिक की देनदारियां लंबित बताई जा रही हैं, जिसके कारण दवाइयों और उपकरणों की सप्लाई प्रभावित हो रही है। कई जगहों पर वेंडर्स द्वारा आपूर्ति रोकने की स्थिति बन गई है, जिससे उपचार सेवाओं पर सीधा असर पड़ रहा है।

आर्थिक सर्वे यह भी दर्शाता है कि प्रदेश के लोगों को अपने स्वास्थ्य पर लगभग 14.48 प्रतिशत खर्च अपनी जेब से करना पड़ रहा है। यह संकेत है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहीं, और मरीजों को मजबूरी में निजी अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ता है, जहां इलाज महंगा है।

पिछले बजटों में की गई कई घोषणाएं अभी तक धरातल पर पूरी तरह लागू नहीं हो पायी हैं। स्क्रब टाइफस के लिए राज्य स्तरीय रिसर्च यूनिट, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब, डायलिसिस और ब्लड स्टोरेज यूनिट, न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट और एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस जैसी योजनाएं अधूरी हैं। आईजीएमसी में पैटस्कैन सुविधा तय समय सीमा में शुरू नहीं हो सकी। इन अधूरी परियोजनाओं से नीति और क्रियान्वयन के बीच की खायी साफ नजर आती है।

प्रदेश के बड़े स्वास्थ्य संस्थानों की स्थिति भी दबाव को दर्शाती है। टांडा मेडिकल कॉलेज में रोजाना 2000 से 2500 मरीजों का भार है, लेकिन सीटी स्कैन के लिए दो महीने, एमआरआई के लिए तीन महीने और अल्ट्रासाउंड के लिए एक महीने तक का इंतजार करना पड़ रहा है। इतनी लंबी वेटिंग के कारण मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जिससे उनका आर्थिक बोझ बढ़ जाता है।

पूरी स्थिति यह दर्शाती है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में नीतिगत प्राथमिकता का संतुलन बिगड़ा हुआ है। एक ओर जहां महंगी और हाई – टेक सुविधाओं को लाने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन, दवाइयों की उपलब्धता और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हो पायी हैं।

तथ्य संकेत देते हैं कि हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था केवल संसाधनों की कमी का ही नहीं, बल्कि प्रबंधन, योजना और क्रियान्वयन की कमजोरियों का भी सामना कर रही है। यदि बजट आवंटन बढ़ाने, स्टाफ की भर्ती, उपकरणों के प्रभावी उपयोग और योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में यह संकट और गहरा सकता है।

हिम केयर पर बयान को लेकर मुख्यमंत्री से माफी की मांग:जयराम

शिमला/शैल। हिम केयर योजना को लेकर विधानसभा में दिये गये बयान पर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाते हुये उनसे सदन ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश से माफी मांगने की मांग की है।

मीडिया से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हिम केयर योजना में कथित घोटाले को लेकर सदन में गलत बयान दिया, जिसे बाद में स्वयं स्वीकार भी किया। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस तरह के बयान से एक जनहितकारी योजना की छवि को नुकसान पहुंचा है।

उन्होंने कहा कि हिम केयर योजना की शुरुआत जनसेवा के उद्देश्य से की गई थी, जिसके तहत लाखों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। उनके अनुसार, इस योजना की उपयोगिता को देखते हुए इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया था।

जयराम ठाकुर ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में लगभग 3.98 लाख मरीजों का इलाज किया गया, जिस पर 442 करोड़ रुपये खर्च हुए। वहीं, वर्तमान सरकार के दौरान प्रति मरीज औसत खर्च बढ़कर करीब 14 हजार रुपये हो गया है, जबकि पहले यह लगभग 11 हजार रुपये था।

उन्होंने आरोप लगाया कि दवाइयों की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और सरकार ने अभी तक मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन के माध्यम से राज्य स्तरीय दरों पर खरीद सुनिश्चित नहीं की है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश से करवाने की मांग की, ताकि तथ्य सार्वजनिक हो सकें।

इसके अलावा, जयराम ठाकुर ने पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्र सरकार द्वारा आयात शुल्क में कमी के निर्णय का स्वागत किया और इसे आम जनता के लिए राहतकारी कदम बताया। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार द्वारा डीजल पर सेस लगाने के प्रस्ताव की आलोचना करते हुए इसे जनविरोधी करार दिया और इसे वापस लेने की मांग की।

उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में सरकार को राहत देने वाले फैसले लेने चाहिए, न कि आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना चाहिए।

राज्यपाल से लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की भेंट

शिमला/शैल। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से लोकभवन में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष

कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर सहित आयोग के अन्य सदस्यों ने शिष्टाचार भेंट की।

बैठक के दौरान अध्यक्ष ने राज्यपाल को आयोग की वर्तमान गतिविधियों और पहलों की जानकारी दी। उन्होंने परीक्षाओं के संचालन, भर्ती प्रक्रियाओं तथा विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों के चयन में पारदर्शिता, दक्षता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। आयोग के कार्य संचालन से जुड़े प्रशासनिक और संस्थागत मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

राज्यपाल ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करने में आयोग की भूमिका की सराहना की। उन्होंने परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं में जवाबदेही बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित आधुनिक प्रणालियों को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एक निष्पक्ष और विश्वसनीय भर्ती प्रक्रिया शासन में जन विश्वास को मजबूत करती है और राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

इस अवसर पर आयोग के सदस्य कर्नल राजेश कुमार शर्मा, डॉ. पवनेश शर्मा, प्रो. ममता मोक्टा, राखिल काहलों, सचिव निवेदिता नेगी तथा अतिरिक्त सचिव छवि नांटा भी उपस्थित रहीं।

इसी दौरान हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष आर.डी. धीमान ने भी राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की।

राज्यपाल से प्रधान महालेखाकारों की शिष्टाचार भेंट

शिमला/शैल। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से लोकभवन में प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) सुशील ठाकुर तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) पुरुषोत्तम तिवारी ने शिष्टाचार भेंट की।

इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को अपने कार्यालयों की कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुए वित्तीय प्रबंधन, लेखा परीक्षा और सरकारी व्यय में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। साथ ही सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और उसकी दक्षता बढ़ाने हेतु विभिन्न पहलों पर भी प्रकाश डाला।

राज्यपाल ने वित्तीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व पर जोर देते हुए सार्वजनिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए प्रभावी लेखा परीक्षा तंत्र को आवश्यक बताया। उन्होंने सुशासन और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने में ऐसी संस्थाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंतरंग सामग्री के दुरुपयोग पर रोक

शिमला/शैल। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत गैर-सहमति से साझा

की जाने वाली अंतरंग सामग्री (एनसीआईआई) के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक मानक प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

प्रवक्ता के अनुसार, एनसीआईआई में ऐसी कोई भी सामग्री शामिल है, जिसमें किसी व्यक्ति के निजी अंग, पूर्ण या आंशिक नग्नता, यौन गतिविधियों से संबंधित दृश्य या मॉर्फ/बदली गई आपत्तिजनक तस्वीरें हों। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सामग्री व्यक्ति की गोपनीयता और गरिमा का गंभीर उल्लंघन है।

पीड़ितों की सहायता के लिए बहु-स्तरीय शिकायत प्रणाली विकसित की गई है। प्रभावित व्यक्ति संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या वेबसाइट पर उपलब्ध शिकायत विकल्प के माध्यम से या उनके नियुक्त शिकायत निवारण अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। त्वरित सहायता के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 उपलब्ध है।

प्रवक्ता ने बताया कि पीड़ित निकटतम पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विशेषकर महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

यदि निर्धारित समय के भीतर संबंधित मंच या प्राधिकरण से संतोषजनक कारवाई नहीं होती, तो शिकायतकर्ता शिकायत अपील समिति के समक्ष अपील कर सकता है।

सरकार ने नागरिकों से सतर्क रहने, इस प्रकार की हानिकारक सामग्री साझा न करने और किसी भी ऐसी घटना की तुरंत सूचना देने का आग्रह किया है, ताकि समय पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके और ऑनलाइन सुरक्षा के साथ-साथ व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा की जा सके।

जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति की राज्यपाल से मुलाकात

शिमला/शैल। जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुलपति प्रो. राजेंद्र कुमार शर्मा ने लोक भवन में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को समाज और उद्योग की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल - आधारित और रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही आधुनिक तकनीकों को अपनाने और छात्रों में शोध व उद्यमिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। राज्यपाल ने उच्च शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने और कुशल मानव संसाधन तैयार करने में संस्थान के योगदान की सराहना की।

इस दौरान कुलपति ने विश्वविद्यालय में संचालित शैक्षणिक, शोध एवं विकासात्मक गतिविधियों की जानकारी दी।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) आर. के. शर्मा भी उपस्थित रहे।

राज्यपाल ने 'शिक्षा महाकुंभ 2026' ब्रोशर का किया विमोचन

शिमला/शैल। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोक भवन में विद्या भारती के समग्र शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित 'शिक्षा महाकुंभ 2026' ब्रोशर का विमोचन किया।

'शिक्षा महाकुंभ' का छठा

संस्करण 9 और 10 अक्तूबर 2026 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) हमीरपुर में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन एनआईटी हमीरपुर और समग्र शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में होगा, जिसे चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर की केंद्र एवं राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त रहेगा।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा महाकुंभ जैसे आयोजन शिक्षा को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विद्या भारती के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संगठन भारतीय मूल्यों के अनुरूप उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास, राष्ट्र निर्माण और समग्र प्रगति सुनिश्चित करना होना चाहिए।

इस वर्ष के सम्मेलन की थीम 'शिक्षा, प्रकृति और प्रगति विकास और प्रकृति के साथ सामंजस्य के लिए शिक्षा' पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में यह विषय अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने ऐसी शिक्षा प्रणाली पर बल दिया जो रोजगार के साथ-साथ संवेदनशीलता, संतुलन और सतत विकास को भी बढ़ावा दे।

राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि शिक्षा महाकुंभ 2026 शिक्षा को राष्ट्रीय मूल्यों और वैश्विक आकांक्षाओं के अनुरूप पुनर्परिभाषित करने का प्रभावी मंच बनेगा। उन्होंने इसे शिक्षा को भारत की आत्मा से जोड़ने वाला परिवर्तनकारी प्रयास बताया और सभी हितधारकों से शिक्षा को जीवन के व्यापक दृष्टिकोण से देखने का आहवान किया।

इससे पूर्व विद्या भारती के संगठन सचिव विजय कुमार नड्डा, एनआईटी हमीरपुर के निदेशक प्रो. मुरलीधर सूर्यवंशी तथा शिक्षा महाकुंभ अभियान के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. शमशेर सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वरिष्ठ वैज्ञानिक सुदेश ठाकुर ने इस पहल की जानकारी साझा की।

कार्यक्रम में राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति भी उपस्थित रहे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राज्यपाल ने जालंधर में राम नवमी शोभा यात्रा में लिया भाग

शिमला/शैल। पंजाब के एक दिवसीय दौरे के दौरान राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने देवी तालाब मंदिर में आयोजित राम नवमी शोभा यात्रा में भाग लिया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि राम नवमी जैसे धार्मिक पर्व सामाजिक सौहार्द को मजबूत करते हैं और समाज में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। उन्होंने कहा कि यह

पर्व भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपराओं को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा भगवान राम की शिक्षाएं आज भी लोगों को धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं।

राज्यपाल ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज में एकता, भक्ति और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को सुदृढ़ करते हैं।

इस अवसर पर चरणजीत सिंह चन्नी, मंदिर समिति के अध्यक्ष शीतल बिज, स्थानीय गणमान्य व्यक्ति, मंदिर प्रशासन तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के साथ मनाया 62वां जन्मदिवस, हरित पहल को दिया बढ़ावा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना 62वां जन्मदिवस प्रदेशवासियों के साथ हर्षोल्लास से मनाया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों, जनप्रतिनिधियों, पार्टी कार्यकर्ताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकारी आवास 'ओक ओवर' पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दीं और उनके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर चिनार का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उनकी धर्मपत्नी एवं देहरा से विधायक कमलेश ठाकुर सहित परिवार के अन्य सदस्य भी इस दौरान उपस्थित रहे।

दिन की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा आयोजित मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मैराथन सचिवालय से शुरू होकर मालरोड स्थित चर्च के समीप समाप्त हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का बजट जनकल्याण केंद्रित है और प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 'सेवा परमो धर्म:' की भावना के साथ कार्य कर रही है, ताकि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। उन्होंने वर्ष 1952 से मिल रही आरडीजी (राजस्व घाटा अनुदान) को बंद किए जाने पर चिंता जताते हुए इसे प्रदेश का अधिकार बताया।

प्रदेश के योगदान का उल्लेख

करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश को प्रतिवर्ष लगभग 90 हजार करोड़ रुपये की पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न मंचों पर अपने अधिकारों को मजबूती से उठा रही है और इन प्रयासों में सफलता अवश्य मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने वित्तीय अनुशासन की दिशा में उठाए गए कदमों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इसके सकारात्मक परिणाम जल्द सामने आएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की 18 महिला लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। प्रत्येक लाभार्थी को तीन लाख रुपये की सहायता राशि में से पहली किश्त के रूप में एक-एक लाख रुपये दिए गए।

जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस और अन्य युवा इकाइयों द्वारा इंदिरा गांधी खेल परिसर में रक्तदान शिविर और बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया।

इस दौरान मंत्रीगण, विधायकगण, विभिन्न बोर्डों और निगमों के पदाधिकारी तथा वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दीं।

सिंचाई गणना पुर्ण करने पर हिमाचल को राष्ट्रीय सम्मान

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग को सिंचाई गणना 2023-25 के तहत प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई (एमएमआई) गणना सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर केंद्र सरकार

द्वारा सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने नई दिल्ली में विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन को प्रदान किया।

बाद में यह सम्मान शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को औपचारिक रूप से सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सिंचाई परियोजनाएं कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं।

राज्य में इस गणना के तहत कुल 10 परियोजनाएं शामिल की गई हैं, जिनमें एक प्रमुख और नौ मध्यम श्रेणी की हैं। इनमें से आठ परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि दो निर्माणाधीन हैं। विभाग ने निर्धारित समय से पहले ही डेटा संग्रह कार्य पूरा किया।

सरकार के अनुसार, यह उपलब्धि राज्य में डेटा-आधारित योजना और सिंचाई ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

वेलफेयर बोर्ड गठन पर मुख्यमंत्री का आभार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य एक्स-पैरा मिलिट्री कॉर्डिनेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने बजट

2026-27 में पैरा मिलिट्री वेलफेयर बोर्ड के गठन की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया है।

एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें इस अवसर पर सम्मानित किया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस निर्णय से लंबे समय से लंबित मांग पूरी हुई है और इससे पैरा मिलिट्री बलों के कर्मियों, वीर नारियों तथा उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और पैरा मिलिट्री समुदाय के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक बताया।

साथ ही, इस पहल से पैरा मिलिट्री परिवारों में नई उम्मीद जगी है।

प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाने और मांग को पूरा कराने में भूमिका निभाने के लिए उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया का भी विशेष आभार व्यक्त किया। इसके अलावा अन्य विधायकों के सहयोग के लिए भी धन्यवाद दिया गया। एसोसिएशन का मानना है कि पैरा मिलिट्री वेलफेयर बोर्ड का गठन राज्य में इस समुदाय के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों और पैरा मिलिट्री कर्मियों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

हिमाचल में 'एक जिला, तीन उत्पाद' योजना की शुरुआत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा सशक्त आधार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में 'एक जिला, तीन उत्पाद' योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और उनकी व्यावसायिक क्षमता को विकसित करना है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़कर ग्रामीण आय में वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी।

योजना के तहत प्रत्येक जिले से बाजार की संभावनाओं के आधार पर तीन प्रमुख उत्पादों की पहचान की जाएगी। इसके बाद इन उत्पादों की मूल्य शृंखला को मजबूत करने, ब्रांडिंग और आकर्षक पैकेजिंग विकसित करने तथा बाजार तक पहुंच को आसान बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यह योजना जिला स्तर की विशिष्टताओं को सामने लाएगी और सतत आजीविका के अवसर पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल के पारंपरिक उत्पादों को व्यापक बाजार मिलेगा।

योजना में कृषि, बागवानी, हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़े उत्पादों को शामिल किया जाएगा। इनमें हल्दी, अदरक, मक्का, शॉल, मसाले, कांगड़ा चाय, चित्रकला, शहद, चुल्ली तेल और याक ऊन जैसे उत्पाद प्रमुख हैं, जो प्रदेश की विविध जलवायु और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं।

सरकार का ध्यान केवल उत्पादों के प्रचार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने पर भी रहेगा। इसके तहत कारीगरों, महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और लघु उत्पादकों को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

अपर मुख्य सचिव (उद्योग) आर. डॉ. नज़ीम ने कहा कि यह योजना मूल्य श्रृंखला विकास को संस्थागत रूप देगी और स्थानीय उद्योगों को नीति स्तर पर समर्थन प्रदान करेगी। वहीं, उद्योग आयुक्त डॉ. यूनुस ने कहा कि योजना का मुख्य लक्ष्य अंतिम स्तर तक लाभ पहुंचाना है, ताकि किसानों और कारीगरों को इसका सीधा फायदा मिल सके।

राज्य सरकार का मानना है कि इस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश अपने पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान दिलाने के साथ-साथ समावेशी और ग्रामीण-आधारित विकास को नई दिशा देगा।

नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस इन अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की ओर से निदेशक हेमिस नेगी तथा स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की ओर से निदेशक वीरेन्द्र कुमार पॉल ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिलों के लिए क्षेत्रीय स्तर की कार्य योजनाएं तैयार की जाएंगी।

राजेश धर्माणी ने कहा कि यह साझेदारी प्रदेश में व्यवस्थित और संतुलित शहरीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि विकास की बढ़ती गति को देखते हुए भविष्य में नए शहरों की आवश्यकता महसूस होगी और इस पहल से उस दिशा में ठोस आधार तैयार होगा।

उन्होंने बताया कि इस सहयोग के माध्यम से तकनीकी विशेषज्ञता और अनुसंधान आधारित दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप योजनाएं तैयार की जाएंगी। इन योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रखते हुए ग्रामीण-शहरी समन्वय को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे शहरों पर बढ़ते दबाव को कम करने में मदद मिलेगी।

इस अवसर पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और संस्थान के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

नौणी विश्वविद्यालय के शोधार्थी को सर्वश्रेष्ठ पीएचडी शोध प्रबंध पुरस्कार

शिमला/शैल। डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के शोधार्थी डॉ. अंशुल कुमार को राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान

सर्वश्रेष्ठ पीएचडी शोध डिसर्टेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

डॉ. अंशुल ने पुष्प विज्ञान एवं परिदृश्य विभाग में डॉ. भारती कश्यप के मार्गदर्शन में 'ताजे एवं सूखे गेंदे के फूलों से तैयार गुलाल के भंडारण, भौतिक-रासायनिक एवं संवेदी गुणों का अध्ययन' विषय पर अपना शोध कार्य पूरा किया।

यह सम्मान भारतीय सजावटी बागवानी सोसायटी द्वारा 'फ्लोरीकल्चर एवं लैंडस्केपिंग @2047 विकसित भारत' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया, जो केलाड़ी शिवप्पा नायक कृषि एवं उद्यानिकी विज्ञान विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ।

यह शोध कार्य सीएसआईआर हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से किया गया, जिसके परिणामस्वरूप हर्बल गुलाल तैयार करने की व्यावसायिक तकनीक विकसित हुई है। इस तकनीक के माध्यम से विभाग द्वारा आय सृजन भी किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने डॉ. अंशुल को बधाई दी। विभाग के सदस्यों और छात्रों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दीं

थोड़ा सा अभ्यास ढेर सारे उपदेशों से अधिक मूल्यवान है।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

टकराव की राजनीति और चुनावी परीक्षा का दौर

भारत की समकालीन राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां व्यक्तित्व, विचारधारा, आरोप-प्रत्यारोप और चुनावी रणनीतियां एक-दूसरे से टकराती हुई दिखाई देती हैं। आगामी पांच राज्यों के चुनावों ने इस टकराव को और तीखा बना दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी-अपनी जमीन मजबूत करने के लिए हर संभव राजनीतिक, वैचारिक और भावनात्मक हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में सबसे केंद्रीय चेहरा नरेंद्र मोदी का है, जिनके इर्द-गिर्द न केवल भाजपा की राजनीति घूम रही है, बल्कि विपक्ष की रणनीति भी काफी हद तक उन्हीं को केंद्र में रखकर तैयार की जा रही है।

पिछले एक दशक में भाजपा ने जिस तरह से अपने संगठन और चुनावी अभियानों को मोदी के नेतृत्व में ढाला है, उसने भारतीय राजनीति में एक नया ट्रेंड स्थापित किया है। 'मोदी है तो मुमकिन है' जैसे नारों ने धीरे-धीरे एक व्यापक राजनीतिक धारणा का रूप ले लिया है, जहां पार्टी और नेतृत्व के बीच की रेखाएं काफी हद तक धुंधली हो गई हैं। भाजपा के लिए यह रणनीति अब तक सफल रही है, क्योंकि मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता ने कई चुनावों में पार्टी को निर्णायक बढ़त दिलाई है। लेकिन यही केंद्रीकरण अब विपक्ष के लिये सबसे बड़ा हमला बिंदु बन गया है। विपक्ष यह स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि भाजपा की राजनीति संस्थागत न होकर व्यक्ति-केंद्रित हो चुकी है, और यह लोकतांत्रिक संतुलन के लिए चुनौती बन सकता है।

कांग्रेस, जो लंबे समय तक रक्षात्मक राजनीति करती नजर आती थी, अब अपेक्षाकृत आक्रामक मुद्रा में है। वह केवल नीतिगत मुद्दों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि भाजपा की राजनीतिक और वैचारिक छवि को भी चुनौती देना चाहती है। बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक असमानता और संस्थाओं की स्वायत्तता जैसे मुद्दों को लगातार उठाकर कांग्रेस यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि चुनाव केवल नेतृत्व के चेहरे पर नहीं, बल्कि जनता के जीवन से जुड़े सवालों पर होना चाहिए।

हाल के दिनों में राजनीतिक बहस का स्तर केवल नीतिगत मतभेदों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि व्यक्तिगत आरोपों और विवादों ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी को लेकर दिये गये बयानों ने भाजपा के भीतर असहजता पैदा की है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इन बयानों को यह दिखाने के लिये इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाजपा के भीतर भी असंतोष और वैचारिक मतभेद मौजूद हैं। इसी क्रम में एक महिला लेखिका की पुस्तक में नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी ने भी विवाद को जन्म दिया है। भाजपा इसे सुनियोजित छवि धूमिल करने का प्रयास बता रही है।

भाजपा की रणनीति इन सभी हमलों के बीच अपेक्षाकृत स्पष्ट है। वह अपने मुख्य नैरेटिव-मजबूत नेतृत्व, राष्ट्रवाद और विकास-से पीछे हटने के मूड में नहीं है। पार्टी यह मानती है कि मतदाताओं के बीच उसकी विश्वसनीयता इन तीन स्तंभों पर टिकी है। केंद्र सरकार की योजनाओं, बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल भारत और कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रमुखता से प्रचारित किया जा रहा है। साथ ही, विपक्ष के आरोपों को 'नकारात्मक राजनीति' या 'साजिश' के रूप में पेश कर उन्हें खारिज करने की कोशिश कर रही है।

दूसरी ओर, कांग्रेस केवल आलोचना तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। हालांकि, यह भी सच है कि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी बात को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने की है। कांग्रेस यह भी समझती है कि केवल मोदी-विरोध ही पर्याप्त नहीं होगा उसे सकारात्मक एजेंडा भी प्रस्तुत करना होगा।

आगामी पांच राज्यों के चुनाव इस पूरे राजनीतिक संघर्ष का पहला बड़ा परीक्षण होंगे। भारतीय मतदाता अब पहले की तुलना में अधिक जागरूक और सूचनाप्राप्त है। वह केवल आरोपों के आधार पर निर्णय नहीं लेता, बल्कि अपने अनुभव और स्थानीय मुद्दों को भी महत्व देता है। इसलिए, यह कहना कठिन है कि व्यक्तिगत आरोप या विवाद सीधे तौर पर चुनाव परिणामों को प्रभावित करेंगे। आज की राजनीति में मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली हो गई है। किसी भी बयान, आरोप या विवाद को कुछ ही घंटों में राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जा सकता है। भाजपा इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत मजबूत मानी जाती है।

इस पूरे परिदृश्य में मतदाता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अंततः वही तय करेगा कि उसे किस तरह की राजनीति चाहिए-व्यक्तिव आधारित या मुद्दा आधारित, स्थिरता या बदलाव, आक्रामकता या संतुलन। भारतीय लोकतंत्र की खूबी यही है कि यहां अंतिम निर्णय जनता के हाथ में होता है, और वह समय-समय पर अपने फैसलों से राजनीतिक समीकरणों को बदलती रही है। आगामी चुनाव यह स्पष्ट कर देंगे कि क्या मोदी का करिश्मा और भाजपा की रणनीति पहले की तरह प्रभावी बनी हुई है, या फिर कांग्रेस और विपक्ष की आक्रामकता और नई रणनीतियां राजनीतिक संतुलन को बदलने में सफल होंगी। भारतीय राजनीति का यह दौर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल वर्तमान का निर्णय करेगा, बल्कि भविष्य की दिशा भी तय करेगा।

ईरान युद्ध न तो वैश्विक दादागीरी का समर्थन किया जा सकता है और न ही धार्मिक अधिनायकवाद का

गौतम चौधरी

युद्ध अक्सर राजनीतिक बहसों, सैन्य रणनीतियों और शक्तिशाली नेताओं के उच्च महत्वाकांक्षा और उस पर आधारित आपसी विवाद से प्रारंभ होता है लेकिन उसका अंत हमेशा आम लोगों की भयंकर पीड़ा व त्रासदि पर जाकर समाप्त होती है। ईरान बनाम इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि देशों के बीच होने वाले संघर्ष केवल सरकारों या सेनाओं तक सीमित नहीं रहते-वे आम लोगों के घरों, स्कूलों और सड़कों तक पहुँच जाते हैं, जहाँ निर्दोष जनता मारी जाती है। ऐसे समय में, जब दुनिया लगातार विभाजित होती दिख रही है, केवल भू-राजनीति की नहीं, मानवीय गरिमा, न्याय और शांति की तत्काल आवश्यकता पर भी गंभीरता से विचार करना आवश्यक है।

हालिया सैन्य कार्रवाइयों-विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के विरुद्ध हमलों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी आलोचना को जन्म दिया है। कई वैश्विक नेताओं ने इस युद्ध की खुल कर आलोचना की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह युद्ध अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। यही नहीं उन नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा, ''इस प्रकार की कार्रवाई क्षेत्रीय अस्थिरता को और गहरा कर सकती है।'' कुछ यूरोपीय नेताओं ने तो यह आशंका भी जताई कि यदि यह प्रवृत्ति जारी रही, तो नियम-आधारित व्यवस्था की जगह शक्ति का कानून स्थापित हो सकता है, जिससे वैश्विक संस्थाओं की विश्वसनीयता कमजोर पड़ जाएगी।

स्थिति और भी त्रासद तब हो जाती है जब आम नागरिक इसकी कीमत चुकाते हैं। हालिया संघर्षों के दौरान ईरान के एक स्कूल में हुए विस्फोट में सैंकड़ों बच्चों की मृत्यु की खबरें युद्ध की नैतिकता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं। ये घटनाएँ याद दिलाती हैं कि जब शक्तिशाली राष्ट्र टकराव में उतरते हैं, तो केवल सैनिक ही नहीं मरते-परिवार उजड़ते हैं, बच्चे अपना भविष्य खो देते हैं और समाज ऐसे घावों के साथ जीने को मजबूर होता है जिन्हें भरने में पीढ़ियाँ लग जाती हैं।

सैन्य आक्रामकता, विशेषकर जब वह भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से प्रेरित हो, शायद ही कभी मूल समस्याओं का समाधान हो पाता है। इसके विपरीत, यह अविश्वास और आक्रोश को और गहरा बना देता है। यही कारण है कि दुनिया भर में कई लोग शक्तिशाली देशों-विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। उनके अनुसार, ऐसी हस्तक्षेपकारी नीतियां अक्सर मानवीय जीवन से अधिक रणनीतिक प्रभुत्व को प्राथमिकता देती हैं।

हालाँकि, सैन्य आक्रामकता का विरोध करने का अर्थ यह नहीं है कि किसी देश के भीतर हो रहे दमन का समर्थन कर दिया जाए। ईरान की धार्मिक सरकार के द्वारा अपनी जनता पर किए जा रहे दमन को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। यह भी एक गंभीर चुनौती है लेकिन उस चुनौती को बाहरी हस्तक्षेप से खत्म करने की बात बेमानी है। ईरान में नागरिकों-विशेषकर महिलाओं, प्रगतिशील एवं लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं तथा अल्पसंख्यकों के ऊपर सत्ता का अत्याचार लंबे समय से आलोचना का कारण रहा है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, मनमानी गिरफ्तारियां और कठोर दंड जैसी प्रवृत्तियों का लगातार दस्तावेजीकरण किया है। यह भी चिंता का विषय है।

ईरान में महिलाओं की स्थिति चिंताजनक है। अनिवार्य हिजाब जैसे कानूनों को सख्ती से लागू किया जाता है और इनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाली महिलाओं को दंडित किया जाता है। समानता और स्वतंत्रता की मांग करने वाली कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारियों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, उच्च स्तर की फाँसी की सज़ाएँ, कथित यातनाएँ और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न भी गंभीर चिंता के विषय बने हुए हैं।

यह पूरी स्थिति एक जटिल नैतिक द्वंद्व प्रस्तुत करती है। एक ओर बाहरी सैन्य हमले आम नागरिकों के लिए विनाश लाते हैं, तो दूसरी ओर आंतरिक नीतियाँ उनकी स्वतंत्रता और गरिमा को सीमित करती हैं। न्याय के पक्ष में खड़े होने के लिए इन दोनों सच्चाइयों को स्वीकार करना आवश्यक है। ईरान के लोग शांति और सम्मान के हकदार हैं-न बाहर से गिरते बमों के और न ही भीतर से होने वाले दमन के।

साधारण नागरिक-चाहे तेहरान की कोई माँ हो, इस्फ़हान का कोई छात्र या ग्रामीण क्षेत्र का कोई किसान, वैश्विक टकराव नहीं चाहता। अधिकांश लोग केवल सुरक्षा, स्वतंत्रता और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना करते हैं लेकिन जब राजनीतिक नेतृत्व टकराव का रास्ता चुनता है, तो इसकी कीमत आम लोग ही चुकानी पड़ती है।

इतिहास हमें सिखाता है कि हिंसा किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। युद्ध शहरों को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन शिकायतों को समाप्त नहीं कर सकते। सैन्य शक्ति अस्थायी रूप से आवाज़ों को दबा सकती है, पर विश्वास और मेल-मिलाप नहीं बना सकती। वास्तविक परिवर्तन संवाद, धैर्य और नैतिक साहस से आता है।

दूसरी ओर, वैश्विक तनाव के समय जनमत का ध्रुवीकरण स्वाभाविक है। कुछ लोग सुरक्षा के नाम पर सैन्य कार्रवाइयों का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ केवल पश्चिमी प्रभाव के विरोध में धार्मिक अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाओं का महिमामंडन करने में लगे हैं। दोनों ही दृष्टिकोण मानवता के खिलाफ है। न्याय चयनात्मक नहीं हो सकता-मसलन, न युद्ध अपराधों की अनदेखी की जा सकती है, और न ही मानवाधिकार के उल्लंघनों को जायज ठहराया जा सकता है। एक सच्चा मानवीय दृष्टिकोण संतुलन और करुणा की मांग करता है। इसका अर्थ है नागरिकों पर होने वाले हमलों की निंदा करना, साथ ही उन सरकारों के खिलाफ आवाज़ उठाना जो अपने ही लोगों की स्वतंत्रता को सीमित करती हैं।

दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व सहित पूरी दुनिया के लिए संदेश स्पष्ट है-शांति ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। कोई भी विचारधारा या रणनीतिक हित निर्दोष जीवन से बड़ा नहीं हो सकता। संघर्ष के समय धैर्य अत्यंत आवश्यक है। क्रोध और प्रतिशोध समाज को और हिंसा बना देता है, जबकि धैर्य, संवाद और समाधान का मार्ग खोलता है। शांतिपूर्ण तरीकों से प्राप्त न्याय ही स्थायी होता है।

आगे का रास्ता कूटनीति, जवाबदेही और मानवीय गरिमा पर आधारित होना चाहिए। शक्तिशाली देशों को सैन्य शक्ति के अंधाधुंध प्रयोग पर पुनर्विचार करना होगा और ईरान जैसी सरकारों को अपने नागरिकों-विशेषकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करना होगा।

अंततः, यह संघर्ष केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक गहरी मानवीय त्रासदी है। हर खबर के पीछे शोक में डूबे परिवार, भयभीत बच्चे और टूटे हुए समुदाय हैं। यदि दुनिया सचमुच इतिहास से सीखना चाहती है, तो उसे शत्रुता के इस चक्र को तोड़ना होगा। किसी भी संघर्ष की सबसे बड़ी जीत दुश्मन की हार नहीं, बल्कि शांति की पुनर्स्थापना होती है। यह केवल धैर्य, करुणा और ईमानदार संवाद के माध्यम से ही संभव है। भारत का सनातन मूल्य भी यही संदेश देता है। विवाद नहीं संवाद से काम लें।

एचपीवी टीकाकरण: सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन की दिशा में बहुत बड़ा कदम

– नीरजा भटला –
प्रोफेसर एमेरिटस, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान झज्जर

प्रोफेसर हैराल्ड ज़ुर हाउज़ेन को 2008 में उनकी इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला कि ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) के हाई-रिस्क स्ट्रेन से लगातार होने वाला संक्रमण ही सर्वाइकल कैंसर का मूलभूत कारण है। यह दुनिया भर में रुग्णता और मृत्यु का एक महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन कम और निम्न-मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) में इसका प्रभाव अधिक है। उनकी इस खोज ने रोगनिरोधी टीकों केसाथ-साथ संक्रमण फैलाने वाले एजेंट का पता लगाने वाले परीक्षणों के विकास का भी मार्ग प्रशस्त किया।

एक दशक बाद, 2018 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन की दिशा मेंएक पहल की घोषणा की, और 17 नवंबर 2020 को इस संबंध में एक वैश्विक रणनीति औपचारिक रूप से शुरू की गई, जिसे भारत सहित 194 देशों ने समर्थन दिया।

कैंसर का उन्मूलन! वह भी कोई साधारण कैंसर नहीं, बल्कि सर्वाइकल कैंसर का उन्मूलन, जो अत्यधिक शारीरिक पीड़ा, भावनात्मक संघर्ष और आर्थिक कठिनाइयों का सबब है। भारत में महिलाओं में यह में दूसरा सबसे आम कैंसर है। हर साल इसके लगभग एक लाख नए मामले सामने आते हैं और इनमें से करीब आधे मामलों में मौत हो जाती है, जो दुनिया भर के कैंसर के बोझ का लगभग एक-चौथाई है।

सर्वाइकल कैंसर में जीवन के खोए हुए वर्ष, अन्य कैंसरों की तुलना में अधिक होते हैं, क्योंकि पीड़ित महिलाएं अपेक्षाकृत कम उम्र की होती हैं और परिवार व समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होती हैं। कैंसर विशेषज्ञ के रूप में, मैंने उनकी तकलीफों को करीब से देखा है..

ऐसी महिलाएँ जिनमें चौथी स्टेज में इस रोग का पता चला, उनमें यूरिनरी फिस्टुला विकसित हो चुका था और कंसल्टिंग रूम में उनके दाखिल होने से पहले ही बदबू आने लगती थी(ऐसी महिलाएँ जो रजोनिवृत्ति के बाद होने वाले रक्तस्राव का जिक्र करने में तब तक हिचकिचाती रहीं, जब तक कि बहू ने उनकी साड़ी पर दाग नहीं देख लिया ऐसी महिलाएं जो अत्यधिक सायटिक और कमर दर्द, मूत्रवाहिनी या यूरेटर में रुकावट और गुर्दे फेल होने जैसी स्थितियों से जूझ रही थीं। फिर कुछ अपेक्षाकृत भाग्यशाली महिलाएँ भी थीं, जिन्हें शुरुआती अवस्था ही इस रोग से ग्रसित होने के बारे में पता चल गया और जब यह बीमारी ठीक हो सकती थी, लेकिन सिर्फ़ रेडिकल सर्जरी या कीमो- और रेडिएशन थेरेपी से ऐसे में गहन या एग्रेसिव सर्जरी का शरीर पर असर हुआ, लंबे समय तक चले रेडिएशन उपचार के कारण देखभाल करने वालों को पढ़ाई या काम से वंचित रहना पड़ा, और महंगी कीमो व इम्यूनोथेरेपी हुई। इसके अलावा, हमारे हरसंभव प्रयासों के बावजूद कुछ मामलों में कैंसर दोबारा लौट आया, जिसके लिए और भी जटिल प्रक्रियाओं, जैसे एक्सेंटरेशन सर्जरी और स्टोमा आदि की आवश्यकता पड़ी। हाँ, हम इलाज कर सकते थे, लक्षणों में राहत दे सकते थे, यहां तक कि हार्मोन रिप्लेसमेंट और अन्य सहायक देखभाल भी दे सकते थे, लेकिन इसकी शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक कीमत चुकानी होती। और भी दुखद बात यह थी कि इस बीमारी की रोकथाम की जा सकती थी। 1940 के दशक से ही पश्चिमी देशों में नियमित पैप स्मीयर जांच के माध्यम से द्वितीयक रोकथाम की व्यवस्था की गई थी, जिससे न केवल कैंसर का पता लगाया जा सकताथा, बल्कि रोग की प्रारंभिक अवस्थाओं का भी पता लगाया जा सकता था। सर्वाइकल कैंसर की नेचुरल हिस्ट्री को एक सदी से अधिक समय से अच्छी तरह से दर्ज किया गया है। इसमें 10-15 वर्षों का लंबा प्रीकैंसरस चरण होता है, जिसे सर्वाइकल इंट्राअपिथीलियल नियोप्लासिया (सीआईएन) कहा जाता है, गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स को ब्रश करके स्लाइड पर इकट्ठा की गई कोशिकाओं की माइक्रोस्कोप से जांच करके जिसका पता लगाया जा सकता है। इस अवस्था में इस रोग का उपचार सरल डे-केयर प्रक्रियाओं के जरिए आसानी से किया जा सकता है, जिनमें गर्भाशय निकालने की आवश्यकता नहीं होती। भारत और अन्य निम्न-मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) में हमारे पास इतनी बुनियादी सुविधाएं और प्रशिक्षित जनशक्ति नहीं थी कि 30 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं की जीवन में एक बार भी जांच की जा सके, जबकि हर 3 साल के अंतराल पर यह जांच कराने की सलाह दी गई थी। यहाँ तक कि अच्छे तृतीयक केंद्रों में भी प्रयोगशालाएं प्रतिदिन सीमित संख्या में ही महिलाओं की जांच कर पाती थीं। देशभर में स्त्रीरोग विशेषज्ञों और पैथोलॉजिस्ट द्वारा नियमित रूप से आउटरीच कैंप आयोजित किए जाते थे, ताकि वंचितों की मदद की जा सके, लेकिन ये प्रयास समुद्र में एक बूंद के समान थे। यहाँ तक कि आज भी, विजुअल इंस्पेक्शन (वीआईए) के माध्यम से राष्ट्रीय स्क्रीनिंग कार्यक्रम होने के बावजूद, स्क्रीनिंग कवरेज 5% से अधिक नहीं है, और जिन महिलाओं का टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है, उन्हें अस्पताल लाकर रोग की पुष्टि के लिए बायोप्सी और उपचार कराना भी बेहद कठिन होता है।

सर्वाइकल कैंसर की प्राथमिक रोकथाम के लिए एचपीवी टीकाकरण ने 2006 में एक उम्मीद भरे सुपरहीरो की तरह इस परिदृश्य में प्रवेश किया। शुरुआत में यह तीन खुराक वाला टीका था, लेकिन लगातार शोध से यह साबित हुआ कि इसे दो खुराक तक घटाया जा सकता है, और आगे चलकर यह भी पाया गया कि केवल एक खुराक ही 85-90% कैंसर से सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त है। एक साधारण सा इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन इतनी बड़ी तकलीफ से बचा सकता है?! यह वास्तव में बेहद उत्साहजनक संभावना थी। रोकथाम के लिए टीकाकरण में सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। अब तक 500 मिलियन से अधिक खुराकें दुनिया भर में और लगभग 4 मिलियन खुराकें भारत में दी जा चुकी हैं। व्यवस्थित परीक्षणों और पोस्ट-मार्केटिंग सर्विलांस से प्राप्त समेकित आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि टीका लगवाने वाली महिलाओं में सामान्य आबादी की तुलना में प्रतिकूल प्रभावों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। उनमें क्षणिक हल्की प्रतिक्रियाएं देखी गई हैं, जो सभी टीकों में सामान्य होती हैं। इन टीकों का प्रजनन क्षमता, जन्म दर, जन्मजात विकृतियों या मासिक धर्म के पैटर्न पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पाया गया है। एचपीवी टीकों की प्रभावशीलता बहुत अच्छी है, क्योंकि ये टीके उनमें शामिल वायरस के प्रकारों से लगभग पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करते हैं। पहली पीढ़ी के टीके एचपीवी के दो सबसे खतरनाक प्रकारों-एचपीवी 16 और 18- के खिलाफ बनाए गए थे, जो वैश्विक स्तर पर सर्वाइकल कैंसर के 70% और भारत में लगभग 85% मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों, जिन्होंने 2007-08 में इस टीके के शुरू होने के तुरंत बाद ही एचपीवी टीकाकरण लागू कर दिया था, वहाँ प्रीकैंसर तथा कैंसर के मामलों में महत्वपूर्ण कमी देखी गई है। स्वीडन, डेनमार्क, कनाडा और अमेरिका जैसे अन्य देशों से भी इसी तरह के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

डब्ल्यूएचओ की सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन पहल का लक्ष्य सर्वाइकल कैंसर को एक दुर्लभ कैंसर बनाना है, जिसके होने की दर प्रति 1 लाख में केवल 4 मामलों तक सीमित हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2030 तक : 15 वर्ष की आयु से पहले 90% लड़कियों का एचपीवी टीकाकरण, 35 और 45 वर्ष की आयु में 70% महिलाओं की एचपीवी परीक्षण द्वारा स्क्रीनिंग, और जिन महिलाओं में रोग के लक्षण पाए जाएं, उनमें से 90% का उपचार-जैसे कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों को हासिल करना आवश्यक है। वैश्विक घोषणा के शुरू होने के बाद से हम आधे से अधिक रास्ता पार कर चुके हैं, लेकिन अभी भी इन लक्ष्यों की प्राप्ति से काफी दूर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी ऑफ इंडिया (एफओजीएसआई) और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (आईएपी) जैसे संगठनों के प्रतिनिधित्व वाला चिकित्सा समुदाय लंबे अरसे से एचपीवी टीकाकरण को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है। आखिरकार, अब उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 28 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान को देशव्यापी स्तर पर लॉन्च किया जाना -महिलाओं के स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकारों को महत्व दिलाने की दिशा में सर्वोच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता का संकेत है, जिसकी वे हकदार हैं। पहुंच, किफायत और उपलब्धता जैसी प्रमुख चिंताओं का सरकार ने पूरी तरह समाधान कर दिया है। अब सभी अभिभावकों को इस सुनहरे अवसर के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है, ताकि उनकी 14 साल की बेटियां नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क टीकाकरण का लाभ उठा सकें। हमारी बेटियों के लिए एक साधारण सा टीका, सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन और विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा।

हिमाचल में मत्स्य उत्पादन बढ़ा, केंद्र से 155 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी

शिमला। केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत हिमाचल प्रदेश में मत्स्य क्षेत्र में लगातार प्रगति दर्ज की जा रही है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में वर्ष 2020-21 से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

मंत्री के अनुसार, योजना के आरंभ से अब तक हिमाचल प्रदेश में मत्स्य विकास परियोजनाओं के लिए 15,548.08 लाख रूपये (करीब 155 करोड़ रूपये) के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें 7,947.31 लाख रूपये का केंद्रीय अंश शामिल है। इसके अतिरिक्त, मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि के तहत ऊना जिले के गगरेट में 5. 17 करोड रूपये की लागत से एक अत्याधुनिक मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है।

आंकड़ों के अनुसार, राज्य में मत्स्य उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2021-22 में 16,015. 81 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ, जो 2024-25 में बढ़कर 19,019.83 मीट्रिक टन तक पहुंच गया। वर्ष 2025-26 फरवरी तक 16,861. 06 मीट्रिक टन उत्पादन दर्ज किया गया है। इस वृद्धि का प्रमुख कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्राउट मत्स्य पालन का विस्तार और जलाशयों में कार्प मछली पालन को बढ़ावा देना बताया गया है।

बीज उत्पादन के स्तर पर भी गतिविधियां जारी हैं। कार्प बीज (स्पॉन) और ट्राउट बीज (आईड ओवा) के उत्पादन में उतार-चढ़ाव के बावजूद राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत इस क्षेत्र को सुदृढ़ करने में जुटी है।

जलाशय आधारित मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से कैप्चर और कल्चर आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोविंद सागर और महाराणा प्रताप सागर जैसे प्रमुख जलाशयों में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। वाणिज्यिक पंगास मछली पालन के लिए 48 पिंजरे (प्रत्येक जलाशय में 24) स्थापित किए गए हैं।

इसके साथ ही, पोंग बांध में 15 और गोविंद सागर में 8 लैंडिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे मछुआरों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। राज्य में 697 मछुआरों को नौकाएं और जाल खरीदने के लिए सहायता दी गई है, जबकि पिछले तीन वर्षों में 9,208 मछुआरों को क्लोज सीजन सहायता प्रदान की गई है।

मछुआरों की सामाजिक सुरक्षा के तहत 5 लाख रूपये (मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता) और 2.5 लाख रूपये (आंशिक दिव्यांगता) का बीमा कवर भी दिया जा रहा है। इसके अलावा, मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए फिंगरलिंग संचयन, पिंजरा मत्स्य पालन और क्लोज सीजन जैसी गतिविधियां लागू की जा रही हैं।

पूर्व में 'ब्लू रिवॉल्यूशन' योजना (2015-16 से 2019-20) के तहत भी राज्य को 3727.47 लाख रूपये की केंद्रीय सहायता मिली थी, जिसका पूर्ण उपयोग किया गया। इस दौरान हैचरी विकास, पिंजरा मत्स्य पालन और जलाशय विकास जैसे कार्य किए गए।

आगे की योजना के तहत, राज्य सरकार ने गोविंद सागर और महाराणा प्रताप सागर दोनों जलाशयों में अगले पांच वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 600 मीट्रिक टन अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

कुल मिलाकर, केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में मत्स्य क्षेत्र को मजबूती मिल रही है, हालांकि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर निरंतर ध्यान बनाए रखना आवश्यक होगा।

प्राकृतिक खेती से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने पर जोर:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वह उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया से भेंट के दौरान यह बात कह रहे थे।

पठानिया ने बजट 2026-27 में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री को 'कचनार' के फूल भेंट कर आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों और दुग्ध उत्पादकों को सशक्त बनाने के लिए गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 61 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का 71 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही दूध को संग्रह केंद्रों तक पहुंचाने के लिए परिवहन सहायता को तीन रुपये से बढ़ाकर छह रुपये प्रति लीटर किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। इसके तहत गेहूं और जौ के लिए 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्का के लिए 50 रुपये प्रति किलोग्राम और हल्दी के लिए 150 रुपये प्रति किलोग्राम दर तय की गई है। अदरक को पहली बार एमएसपी के दायरे में शामिल करते हुए 30 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दुग्ध क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कांगड़ा जिले के ढगवार में लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिससे किसानों को बेहतर बाजार और आय के अवसर मिलेंगे।

तीन नए सैटेलाइट शहरों के लिए एमओयू साइन, शहरी विकास को मिलेगी नई दिशा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तीन नए सैटेलाइट शहरों के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी उपस्थित रहे।

एमओयू के तहत हिम चंडीगढ़, हिम पंचकुला और कांगड़ा वैली एयरोसिटी जैसे तीन आधुनिक सैटेलाइट शहर विकसित किए जाएंगे। हिमुडा की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव डॉ. सुरेंद्र कुमार वशिष्ठ और हुडको की ओर से क्षेत्रीय प्रमुख नीरज सेठी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि इन परियोजनाओं को पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर इन शहरों की योजना बनाई जाएगी, जिससे अनियोजित शहरीकरण पर रोक लगेगी और प्रदेश में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की नियोजित शहरीकरण की सोच को साकार करने में ये परियोजनाएं अहम भूमिका निभाएंगी। इनसे न केवल प्रदेश को नई पहचान मिलेगी, बल्कि रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर भी सृजित होंगे।

सरकार का मानना है कि तेजी से बढ़ते शहरी दबाव को कम करने और बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए इस तरह के सैटेलाइट शहरों का विकास समय की आवश्यकता है।

इस अवसर पर हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा सहित हिमुडा और हुडको के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

नौणी विश्वविद्यालय में औषधीय पौधों के संरक्षण पर मंथन

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में विलुप्तप्राय और संकटग्रस्त औषधीय एवं सुगंधित पौधों के संरक्षण, खेती और सतत उपयोग को लेकर एक दिवसीय इंटरएक्टिव कार्यशाला आयोजित की गई। राज्य वन विभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में वैज्ञानिकों, शोधार्थियों, वन अधिकारियों और प्रगतिशील किसानों ने भाग लेकर रणनीतिक प्राथमिकताओं पर मंथन किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन बल प्रमुख एवं जाइका वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक डॉ. संजय सूद ने कहा कि हिमाचल में औषधीय पौधों की खेती की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने वैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करने और हितधारकों की जरूरतों के अनुरूप अनुसंधान कार्यक्रम तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कारण इन पौधों के प्राकृतिक आवास पर पड़ रहे प्रभाव को गंभीर बताते हुए जागरूकता और संरक्षण में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका को अहम बताया। साथ ही आश्वासन दिया कि जाइका वानिकी परियोजना इस क्षेत्र में शोध को पूरा सहयोग देगी।

विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजेश्वर सिंह चंदेल ने कहा कि औषधीय पौधे किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने विभागों और किसानों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत पर बल देते हुए संकटग्रस्त प्रजातियों को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने गहन खेती, अंतराफसलीकरण और प्राकृतिक खेती अपनाने के साथ गुणवत्ता मानकों और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला पर भी जोर दिया।

इससे पहले वानिकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. सी.एल. ठाकुर ने प्रतिभागियों का स्वागत किया, जबकि वन उत्पाद विभाग के प्रमुख डॉ. यशपाल शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय वर्तमान में 32 औषधीय एवं सुगंधित पौधों पर कार्य कर रहा है और कई प्रजातियों के लिए उन्नत कृषि तकनीकों का मानकीकरण किया जा चुका है।

तकनीकी सत्र में हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट, शिमला के डॉ. संदीप शर्मा ने संस्थान के शोध कार्यों की जानकारी दी, जबकि जाइका वानिकी परियोजना के मार्केटिंग प्रबंधक डॉ. राजेश चौहान ने हर्बल सेल की भूमिका पर प्रकाश डाला। विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉ. रविंदर रैना ने दुर्लभ और संकटग्रस्त औषधीय पौधों पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

कार्यक्रम के दौरान वन विभाग के आईडीपी प्रोजेक्ट के तहत स्थापित वन संसाधन एवं पर्यावरण उद्यमिता केंद्र का उद्घाटन भी किया गया। साथ ही किसानों को चिरायता और कलिहारी के पौधे वितरित किए गए।

इस अवसर पर पांच प्रगतिशील किसानों पवन कुमार (चंबा), ओम प्रकाश (कांगड़ा), राजेश कुमार कंवर और हरदेश बत्र

(सिरमौर) तथा पाल सिंह (शिमला)को औषधीय पौधों की खेती में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, शोधार्थी और किसान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

'प्रोजेक्ट योजक' हर मौसम में सड़क संपर्क सुनिश्चित करने की अहम पहल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए ओडिशा के वरिष्ठ पत्रकारों के एक दल ने सीमा सड़क संगठन (BRO) के 'प्रोजेक्ट योजक' का दौरा कर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चल रहे अवसंरचना कार्यों की जानकारी प्राप्त की।

बीआरओ अधिकारियों ने बताया कि अटल टनल के निर्माण के बाद गठित यह परियोजना 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित इस विश्वस्तरीय सुरंग के रखरखाव के साथ-साथ कई रणनीतिक परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, बीआरओ के जवान-30 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान और भारी बर्फबारी जैसी विषम परिस्थितियों में भी मनाली केलांग लेह मार्ग को सालभर सुचारु रखने में जुटे रहते हैं।

इस दौरान निम्मू-पदम-दरचा (NPD) सड़क परियोजना की प्रगति पर भी जानकारी दी गई। इसमें प्रस्तावित शिंकूला टनल को महत्वपूर्ण बताया गया, जिसके पूरा होने पर लद्दाख के लिए जांस्कर घाटी के रास्ते तीसरा ऑल-वेदर मार्ग उपलब्ध होगा। इससे लाहौल-स्पीति क्षेत्र का मौसमी अलगाव कम होगा और पर्यटन तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

अधिकारियों ने हालिया आपदा प्रबंधन के उदाहरण साझा करते हुए बताया कि मार्च 2026 में अटल टनल के दक्षिणी छोर के पास भारी बर्फबारी में फंसे 200 से अधिक वाहनों को बीआरओ ने पुलिस और प्रशासन के सहयोग से 12 घंटे के भीतर सुरक्षित निकाल लिया। इसके अलावा, पिछले वर्ष बाढ़ से क्षतिग्रस्त मनाली कीलोंग मार्ग को भी 12 घंटे से कम समय में बहाल कर दिया गया।

पत्रकारों ने विषम परिस्थितियों में कार्य कर रहे बीआरओ कर्मियों की प्रतिबद्धता और कार्यकुशलता की सराहना की। 'प्रोजेक्ट योजक' सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत अवसंरचना विकसित करने और दूरदराज के इलाकों को हर मौसम में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

शिमला में आरट्रैक अलंकरण समारोह 2026 आयोजित

शिमला/शैल। आर्मी ट्रेनिंग कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा (पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम) ने डैनफे ऑडिटोरियम, शिमला में आयोजित आरट्रैक अलंकरण समारोह 2026 की अध्यक्षता की। इस अवसर पर प्रशिक्षण वर्ष 2025-26 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षण संस्थानों और सैन्य कर्मियों को सम्मानित किया गया।

समारोह में प्रतिष्ठित जीओसी-इन-सी, आर्मी ट्रेनिंग कमांड यूनिट साइटेशन आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज, आर्मड कॉर्प्स सेंटर एंड स्कूल, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री सेंटर एंड स्कूल तथा राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज को प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, दो संबद्ध इकाइयों को भी सम्मानित किया गया। वित्तीय उत्कृष्टता, डिजिटलीकरण और तकनीकी नवाचार के लिए भी पुरस्कार दिए गए, जबकि 16 व्यक्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए।

इस अवसर पर सेना कमांडर ने आरट्रैक के परिवर्तनकारी प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए आधुनिक युद्ध में नई तकनीकों की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि 50,000 से अधिक सैन्य कर्मियों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। साथ ही विशेषज्ञता केंद्रों के विकास, ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं परीक्षा प्रणाली के कार्यान्वयन तथा लैंगिक समानता और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने जैसे प्रयासों का भी उल्लेख किया।

पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने उनकी मेहनत और समर्पण की सराहना की।

पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता में डीएसपी विजय कुमार ने जीता कांस्य पदक

शिमला/शैल। ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट शूटिंग प्रतियोगिता 2025-26 में हिमाचल प्रदेश पुलिस के डीएसपी विजय कुमार ने व्यक्तिगत श्रेणी में कांस्य पदक हासिल किया है।

22 से 30 मार्च 2026 तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ग्रुप सेंटर, गुरुग्राम में आयोजित इस प्रतियोगिता में देशभर की पुलिस और केंद्रीय बलों के निशानेबाज भाग ले रहे हैं।

विजय कुमार ने पिस्टल/रिवॉल्वर इवेंट-50 यार्ड प्रोन (एसएनएपी) में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले भी वे इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दो कांस्य पदक जीत चुके हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके विजय कुमार की इस उपलब्धि को पुलिस विभाग और राज्य के लिए गौरवपूर्ण माना जा रहा है।

2513 करोड़ की केंद्रीय मदद, 331 योजनाओं के क्रियान्वयन पर उठे सवाल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को लेकर विधानसभा में सामने आए आंकड़ों ने विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर को उजागर कर दिया है। भाजपा विधायकों सुधीर शर्मा, विनोद कुमार और रणधीर शर्मा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न के उत्तर में यह तथ्य सामने आया कि पिछले तीन वर्षों में केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय स्वीकृतियां दीं, लेकिन उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

आधिकारिक जवाब के अनुसार, 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2026 के बीच हिमाचल प्रदेश में कुल 331 योजनाएं स्वीकृत की गई, जिनकी कुल लागत 2513.65 करोड़ है। वर्षवार आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 2023-24 में 180 योजनाओं के लिए 1120.21 करोड़, 2024-25 में 80 योजनाओं के लिए 685.95 करोड़ और 2025-26 में 71 योजनाओं के लिए 707.49 करोड़ स्वीकृत हुए।

ये आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि केंद्र स्तर पर वित्तीय प्रवाह में कमी नहीं है और विभिन्न क्षेत्रों स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क, सिंचाई और आधारभूत ढांचे में योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। लेकिन विधानसभा में उठे सवाल इस बात पर केंद्रित रहे कि इतनी बड़ी संख्या में स्वीकृत योजनाओं का वास्तविक लाभ जनता तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा।

विपक्ष का तर्क है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी, प्रशासनिक शिथिलता और निगरानी तंत्र की कमजोरी के कारण परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो रहीं। इससे न केवल लागत बढ़ने का जोखिम है, बल्कि विकास कार्यों का प्रभाव भी सीमित हो जाता है।

वित्तीय ढांचे को लेकर भी एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि वर्ष 2026-27 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्यांश के रूप में लगभग 10 प्रतिशत तक का प्रावधान रखा गया है, जिसे राज्य सरकार को वहन करना है। हालांकि, राज्य की वित्तीय स्थिति और निर्णय प्रक्रिया में देरी को इन योजनाओं के अटकने का एक कारण बताया गया।

यह स्थिति एक व्यापक प्रशासनिक चुनौती की ओर संकेत करती है, जहां संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित नहीं हो पा रहा। यदि स्वीकृत योजनाएं समयबद्ध तरीके से लागू नहीं होतीं, तो उनका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है।

पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश में विकास की गति केवल बजट या स्वीकृतियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसका वास्तविक निर्धारण क्रियान्वयन क्षमता, प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही से होता है। विधानसभा में उठे इन सवालों ने यही संकेत दिया है कि यदि निगरानी और कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत नहीं किया गया, तो बड़ी वित्तीय स्वीकृतियां भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएंगी।

हिमाचल को 3,920 करोड़, केंद्र की प्रतिबद्धता का प्रमाण:बिंदल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से 'प्राइड ऑफ हिल्स:स्पेशल डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर हिल स्टेट्स' (SASCI 2026-27) के तहत 3,920 करोड़ रूपये की विशेष सहायता मिलने की घोषणा ने राज्य की राजनीति और विकास बहस को एक बार फिर गर्म कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने इसे ऐतिहासिक सौगात बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'हिमाचल प्रेम' का प्रमाण कहा है, जबकि विपक्षी हलकों में इसे सियासी बयानबाजी के रूप में भी देखा जा रहा है।

डॉ. बिंदल का कहना है कि पहाड़ी राज्यों की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को समझते हुए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। सीमित संसाधन, कठिन भौगोलिक ढांचा और कम जनसंख्या घनत्व जैसे कारक विकास की रफ्तार को प्रभावित करते हैं, ऐसे में यह सहायता राज्य के लिए संजीवनी का काम कर सकती है। कुल 25,000 करोड़ रूपये के राष्ट्रीय प्रावधान में से हिमाचल को मिला यह हिस्सा राज्य की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में अहम माना जा रहा है।

यह राशि यदि प्रभावी ढंग से खर्च की जाती है तो सड़कों के जाल को मजबूत करने, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, शिक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार लाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह सहायता जीवन स्तर में ठोस बदलाव ला सकती है।

हालांकि, इस घोषणा के साथ ही सियासी तकरार भी तेज हो गई है। भाजपा जहां इसे केंद्र की विकास-प्रधान सोच का परिणाम बता रही है, वहीं कांग्रेस सरकार की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार बढ़ते कर्ज के बोझ तले दबती जा रही है और वित्तीय प्रबंधन में विफल रही है। उनके अनुसार, ऐसे समय में केंद्र की यह सहायता प्रदेश को राहत देने का काम करेगी।

दूसरी ओर, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी वित्तीय पैकेज की वास्तविक सफलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में परियोजनाओं को जमीन पर उतारना आसान नहीं होता-भूगोल, मौसम और प्रशासनिक चुनौतियां अक्सर योजनाओं की गति को प्रभावित करती हैं। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह राशि कितनी तेजी और पारदर्शिता के साथ खर्च होती है।

यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या यह सहायता राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक चुनौतियों-जैसे बढ़ता कर्ज और सीमित राजस्व-का स्थायी समाधान बन पाएगी, या फिर यह केवल अल्पकालिक राहत तक सीमित रहेगी।

लोकसभा में उठा पिंजौर-बद्दी-नालागढ़ सड़क का मुद्दा

शिमला/शैल। सुरेश कुमार कश्यप ने लोकसभा में नियम 377 के तहत पिंजौर-बद्दी-नालागढ़ सड़क मार्ग की खराब स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह सड़क बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (BBN) औद्योगिक क्षेत्र को हरियाणा और चंडीगढ़ से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है, जिससे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां जुड़ी हुई हैं।

सांसद के अनुसार, BBN क्षेत्र में 2000 से अधिक उद्योग संचालित हैं और प्रतिदिन करीब 30,000 वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन सड़क की स्थिति अत्यंत खराब है। उन्होंने बताया कि चार-लेन निर्माण परियोजना अप्रैल 2022 में शुरू हुई थी, जिसे सितंबर 2024 तक पूरा किया जाना था। प्रारंभिक लागत 556 करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर 650-670 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, फिर भी 2026 तक परियोजना अधूरी है।

उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 40-45 प्रतिशत कार्य के बाद ठेकेदार द्वारा काम छोड़ दिया गया और टेंडर प्रक्रिया कई बार रद्द या स्थगित हुई, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। वर्तमान में सड़क पर गड्डे, जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है।

सांसद ने केंद्र और राज्य सरकार से इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के लिए समयबद्ध योजना बनाने का आग्रह किया, ताकि आम जनता और उद्योगों को राहत मिल सके।

स्वास्थ्य बजट घोषणाओं पर डॉ. जनक राज ने सरकार को घेरा

शिमला/शैल। भाजपा विधायक डॉ. जनक राज ने विधानसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की मांगों पर चर्चा के दौरान राज्य सरकार की नीतियों और बजट घोषणाओं पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि पिछले बजटों में की गई कई घोषणाएं अब तक धरातल पर नहीं उतर पायी हैं। स्क्रब टाइफस के बढ़ते मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि घोषित स्टेट लेवल रिसर्च यूनिट अभी तक स्थापित नहीं हुई, जबकि हर वर्ष इससे मौतें दर्ज हो रही हैं।

डॉ. जनक राज ने मेडिकल कॉलेजों में लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर, प्रत्येक जिले में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब, डायलिसिस सुविधा, ब्लड स्टोरेज यूनिट और न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट जैसी घोषणाओं के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में PET स्कैन सुविधा शुरू करने का वादा भी समय पर पूरा नहीं हुआ।

उन्होंने एंबुलेंस सेवाओं, स्टाफ की कमी और जनजातीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की अनुपलब्धता को भी प्रमुख समस्या बताया। साथ ही, उन्होंने कहा कि महंगी तकनीकों पर जोर देने के बजाय बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

विधायक ने सरकार से बजट घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया।

दुर्लभ कैंसर के इलाज को गलत तरीके से पेश करना निंदनीय : जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के हालिया बयान पर तीखी

प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दुर्लभ कैंसर के इलाज को पुरुषों की बच्चेदानी निकालने से जोड़ना निंदनीय और शर्मनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की टिप्पणी से न केवल मरीजों की स्थिति को गलत ढंग से पेश किया गया, बल्कि चिकित्सा प्रक्रियाओं को लेकर भी भ्रम फैलाया गया।

विधानसभा में स्वास्थ्य से जुड़े स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में जयराम ठाकुर ने कहा कि जिन मामलों का उल्लेख किया गया, वे दुर्लभ कैंसर से जुड़े थे, जिनका कोई स्पष्ट और मानक उपचार प्रोटोकॉल उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामलों में डॉक्टरों ने हिम केयर योजना के अंतर्गत उपलब्ध पैकेज का उपयोग करते हुए कीमोथेरेपी दवाओं का संयोजन दिया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित चारों मरीज जिनमें एक 71 वर्षीय बुजुर्ग, एक 12 वर्षीय बच्चा और अन्य दो वयस्क शामिल हैं कोई ऑपरेशन नहीं हुआ और न ही किसी प्रकार की सर्जरी की गई। इन मरीजों को 'लाइपो डॉक्स' और 'कार्बोप्लैटिन' दवाओं का संयोजन दिया गया, जो विभिन्न प्रकार के कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि कुल उपचार लागत लगभग 67,800 रुपये रही।

जयराम ठाकुर ने कहा कि हिम केयर और आयुष्मान जैसी योजनाओं में हजारों बीमारियों के लिए पैकेज निर्धारित हैं, लेकिन कुछ दुर्लभ कैंसर ऐसे होते हैं जिनके लिए स्पष्ट उपचार प्रोटोकॉल नहीं होते। ऐसे में चिकित्सक उपलब्ध पैकेज के अंतर्गत इलाज प्रदान करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से उछालकर एक लोकप्रिय योजना को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से इस बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की।

कांगड़ा में किसान क्रेडिट कार्ड का बढ़ता दायरा

1,241 करोड़ का ऋण, 1 लाख से अधिक किसानों को लाभ

शिमला/शैल। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में किसानों ने अब तक 1,241 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया है। यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री राम नाथ ठाकुर ने संसद में राज्यसभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी को दी।

मंत्री के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 तक कांगड़ा में 1,04,212 किसान किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खेती और संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण ले रहे हैं। इस योजना के तहत किसानों को खेती के लिए 3 लाख रुपये तक तथा पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए 2 लाख रुपये तक का अल्पकालीन ऋण दिया जा रहा है, जिस पर सरकार द्वारा ब्याज में अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

उन्होंने बताया कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 जनवरी 2025 से बिना गारंटी (कोलैटरल-फ्री) ऋण की सीमा को 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है, जिससे किसानों को ऋण लेने में और अधिक सुविधा मिली है।

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेने की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है और इसकी पात्रता राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा तय की जाती है। किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया है कि वे अपनी कुल ऋण राशि का न्यूनतम 18 प्रतिशत ऋषि और उससे संबंधित गतिविधियों में दें। साथ ही, वर्ष 2016 से इन ऋणों में से 10 प्रतिशत हिस्सा छोटे और मझोले किसानों को देना भी अनिवार्य किया गया है।

इस प्रकार कांगड़ा जिले में किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहारा बनकर उभर रही है, जिससे खेती और इससे जुड़ी गतिविधियों को मजबूती मिल रही है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 के तहत हिमाचल को 2,247 करोड़ की मंजूरी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण संपर्क को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चौथे चरण के तहत 2,247.24 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस चरण में राज्य में कुल 1,538 किलोमीटर लंबी 294 सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी को संसद में यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत देश के मैदानी क्षेत्रों में 500 से कम आबादी, पहाड़ी क्षेत्रों में 250 से कम आबादी तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 100 से कम आबादी वाले गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 9 विशेष श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 25,000 गांवों को मार्च 2029 तक हर मौसम में सड़क संपर्क से जोड़ा जाएगा।

मंत्री ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बाजार, स्वास्थ्य सेवाओं, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य विकास केंद्रों तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना है, ताकि वे मुख्यधारा से जुड़ सकें और आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस चरण में सड़कों के उन्नयन (अपग्रेडेशन) का प्रावधान नहीं है, बल्कि नए संपर्क मार्गों के निर्माण पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2000 में शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को वर्षभर सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए एकमुश्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

फीस वृद्धि पर उठे सवाल, एचपीयू प्रशासन और छात्र संगठनों की भूमिका चर्चा में

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हाल ही में प्रस्तावित फीस वृद्धि को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन जहां इसे वित्तीय आवश्यकताओं और संस्थान के सुधार से जोड़कर देख रहा है, वहीं छात्रों और कुछ शिक्षाविदों के बीच इसे लेकर चिंता भी व्यक्त की जा रही है।

जून 2025 में कुलपति का पद संभालने वाले प्रोफेसर महावीर सिंह ने अपने शुरुआती वक्तव्यों में विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति पर गंभीर सवाल उठाये थे। उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर कहा था कि विश्वविद्यालय की गुणवत्ता में गिरावट आयी है और इसे सुधारने के लिए व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी रेखांकित किया था कि यह संस्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है और उनकी सहायता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

इसी पृष्ठभूमि में 28 मार्च को हुई एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में फीस में 30 से 50 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव सामने आया। प्रशासन का मानना है कि विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने, बुनियादी ढांचे में सुधार और शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है, जिसके चलते फीस वृद्धि का निर्णय लिया गया है।

हालांकि, इस निर्णय ने कई सवाल भी खड़े किये हैं। छात्रों का एक वर्ग मानता है कि फीस वृद्धि का सीधा असर आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों पर पड़ेगा, जो पहले से ही सीमित संसाधनों के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि विश्वविद्यालय स्वयं को 'गरीब छात्रों का संस्थान' मानता है, तो फीस वृद्धि के साथ समानांतर रूप से राहत उपायों की स्पष्ट रूपरेखा भी सामने आनी चाहिए।

विश्वविद्यालय के इतिहास पर नजर डालें तो फीस वृद्धि हमेशा से संवेदनशील मुद्दा रहा है। वर्ष 2013 में भी इसी तरह के निर्णय के खिलाफ व्यापक छात्र आंदोलन देखने को मिला था। उस समय विभिन्न छात्र संगठनों ने मिलकर विरोध किया था और लंबे समय तक परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही थी।

इसके विपरीत, वर्तमान परिदृश्य में विरोध अपेक्षाकृत सीमित नजर आ रहा है। छात्र संगठनों द्वारा औपचारिक बयान और प्रतीकात्मक विरोध तो सामने आये हैं, लेकिन पहले जैसी व्यापक लामबंदी नहीं दिखी है। इसे लेकर यह चर्चा भी हो रही है कि छात्र संगठनों की सक्रियता और उनकी स्वतंत्र भूमिका समय के साथ प्रभावित हुई है।

शिक्षाविदों का मानना है कि विश्वविद्यालयों में किसी भी नीतिगत बदलाव के लिए संतुलन आवश्यक होता है। एक ओर संस्थान की वित्तीय मजबूती और शैक्षणिक सुधार जरूरी हैं, वहीं दूसरी ओर छात्रों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव को भी ध्यान में रखना उतना ही महत्वपूर्ण है।

कुछ विशेषज्ञ सुझाव दे रहे हैं कि फीस वृद्धि के साथ-साथ छात्रवृत्ति, फीस छूट या किस्तों में भुगतान जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाना चाहिये, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों की शिक्षा प्रभावित न हो।

कुल मिलाकर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि का मुद्दा केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि व्यापक शैक्षणिक और सामाजिक संतुलन से जुड़ा विषय बन गया है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस संतुलन को किस तरह साधता है और छात्रों की चिंताओं का समाधान कैसे करता है।

भूमि घोटालों से बढ़ते अपराध तक हिमाचल की कानून व्यवस्था पर सवाल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा में उठे मुद्दों ने एक बहुस्तरीय संकट की ओर संकेत किया है। विपक्षी नेताओं ने भूमि घोटालों, माफिया नेटवर्क, प्रशासनिक निष्क्रियता और बढ़ते अपराधों को जोड़ते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाये हैं।

भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने पालमपुर के बनूरी क्षेत्र में कथित भूमि घोटाले का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 80 वर्ष पुरानी पुश्तैनी जमीन को फर्जी दस्तावेजों, संदिग्ध वारिसों और कथित रूप से बनावटी प्रक्रियाओं के माध्यम से ट्रांसफर किया गया। इस मामले में एफआईआर दर्ज न होने को उन्होंने प्रशासनिक जवाबदेही पर प्रश्नचिह्न बताया।

इसके साथ ही बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में चेंज ऑफ लैंड यूज के मामलों को लेकर भी अनियमितताओं के आरोप लगाये गये। विपक्ष का कहना है कि नियमों की अनदेखी कर बड़े पैमाने पर भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति दी जा रही है, जिससे भूमि प्रबंधन प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।

विधानसभा में रणधीर शर्मा और त्रिलोक जमवाल ने कानून व्यवस्था और पुलिस तंत्र को लेकर विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत किए। उनके अनुसार, पिछले तीन वर्षों में राज्य में हत्या के 270, बलात्कार के 1096, चोरी के 332, डकैती के 9 और अपहरण के 1540 मामले दर्ज हुए हैं। कुल मिलाकर 5947 गंभीर अपराधों के मामले सामने आए हैं।

साइबर अपराधों में भी तेज वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में 877 मामले दर्ज हुए थे, जो बढ़कर 2025 में 18,706 तक पहुंच गए। इसे एक उभरती बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में खनन, वन, शराब और नशा तस्करी से जुड़े माफिया नेटवर्क सक्रिय हैं और इन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा। एक वर्ष में लगभग 13 किलो चिट्टा बरामद होने का हवाला देते हुए नशे के बढ़ते खतरे की ओर भी ध्यान दिलाया गया।

पुलिस तंत्र को लेकर भी सवाल उठे। विपक्ष का कहना है कि पुलिस महानिदेशक का पद नियमित रूप से न भरकर कार्यवाहक व्यवस्था पर निर्भरता बनी हुई है, जिससे नेतृत्व में स्थिरता की कमी है। साथ ही, पुलिस को वीआईपी ड्यूटी जैसे गैर-प्राथमिक कार्यों में व्यस्त रखने के आरोप भी लगाए गए।

हालांकि, सरकार की ओर से इन आरोपों पर विस्तृत जवाब आना बाकी है। सामान्य तौर पर सरकार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और आवश्यक कारवाई करने का दावा करती रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि कानून व्यवस्था केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक पारदर्शिता, संस्थागत जवाबदेही और प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ा व्यापक विषय है। विधानसभा में उठे ये मुद्दे इसी दिशा में गंभीर चिंताओं को उजागर करते हैं।

कुल मिलाकर, हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर उठी यह बहस राज्य की शासन व्यवस्था, सुरक्षा तंत्र और जनविश्वास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को सामने लाती है, जिन पर संतुलित और समयबद्ध कारवाई की आवश्यकता है।

एंट्री टैक्स पर पुनर्विचार करे सरकार

शिमला/शैल। प्रदेश में एंट्री टैक्स को लेकर बढ़ते विवाद और बॉर्डर क्षेत्रों में बनते तनावपूर्ण हालात पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना सोचे-समझे लिए गए फैसलों के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं और सरकार को तुरंत इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

मीडिया से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि बीते दिन जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, वह गंभीर स्थिति की ओर इशारा करता है। करीब ढाई घंटे तक प्रदर्शन चला और चार घंटे तक हाईवे जाम रहा, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आगे और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है।

उन्होंने बताया कि एंट्री टैक्स के खिलाफ न केवल स्थानीय लोग, बल्कि टूरिज्म सेक्टर से जुड़े व्यवसायी और टैक्सी यूनियन भी विरोध में हैं। साथ ही पंजाब के लोगों की ओर से भी नाराजगी सामने आई है। चेतावनी दी गई है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो हिमाचल से पंजाब जाने वाले वाहनों को बॉर्डर पर रोका जा सकता है, जिससे दोनों राज्यों के बीच आवागमन प्रभावित होगा।

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि छोटे वाहनों की एंट्री फीस में लगभग 234 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जो आम लोगों, खासकर किसानों, बागवानों और सब्जी उत्पादकों पर सीधा आर्थिक बोझ डालेगी। पहले यूटिलिटी वाहनों को मिलने वाली छूट भी समाप्त कर दी गई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

उन्होंने कहा कि यह मुद्दा केवल टैक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि कानून-व्यवस्था और अंतर-राज्यीय संबंधों से भी जुड़ा है। ऐसे में मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे तुरंत पंजाब के मुख्यमंत्री से संवाद स्थापित करें और सौहार्दपूर्ण समाधान निकालें। जयराम ठाकुर ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते स्थिति को नहीं संभाला गया तो यह विवाद और गहरा सकता है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा।